**भारत सरकार**

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 263**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 1 दिसम्‍बर, 2015 / 10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**अप्रकटित विदेशी आस्‍तियों की घोषणा**

**263. श्री रंजिब बिस्‍वाल:**

क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने 30 सितम्‍बर, 2015 तक या उससे पहले व्‍यक्‍तियों और संस्‍थानों द्वारा उनकी अप्रकटित विदेशी, आस्‍तियों को प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्‍तृत ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार द्वारा अप्रकटित आय और आस्‍तियों का पता लगाने के लिए नया कानून बनाया गया है/बनाए जाने का प्रस्‍ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और

(ड.) उपर्युक्‍त योजना को शुरू किए जाने के पश्‍चात कितने लोगों/संस्‍थानों ने अपनी अपनी विदेशी आस्‍तियों/आय को प्रकटित किया है और इन आस्‍तियों का कुल मूल्‍य कितना है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

**(क) तथा (ख)** काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसम्‍पत्‍ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 1915 के अध्‍याय vi के अंतर्गत एक बारगी अनुपालन की सुविधा लागू की है जिसके तहत घोषणाकर्ताओं को उक्‍त अध्‍याय में की गई कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए यह अवसर दिया गया है कि वे 1 जुलाई, 2015 से 30 सितम्‍बर, 2015 के दौरान अपनी अघोषित विदेशी परिसम्‍पत्‍तियों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे घोषणाकर्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसी अघोषित परिसम्‍पत्‍ति के 1/7/2015 तक के मूल्‍य का 30 प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करें और फिर इस अघोषित परिसम्‍पत्‍ति के 1/7/2015 तक के मूल्‍य का 30 प्रतिशत शास्‍ति के रूप में 31 दिसम्‍बर, 2015 को या उससे पहले भुगतान कर दें।

**(ग) तथा (घ)** सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसम्‍पत्‍ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 को बनाया है। जो कि 01/7/2015 से लागू हो गया है। उपर्युक्‍त कानून में अन्‍य बातों के अलावा, अघोषित विदेशी आय तथा परिसम्‍पत्‍ति से संबंधित, दंड तथा अभियोजन के बारे में सख्‍त प्रावधान किए गए हैं। इस नए कानून में कर, शास्‍ति, अथवा ब्‍याज जिनका कि इसकी धारा 51 में उल्‍लेख किया गया है, के अपवंचन के लिए जानबूझकर किए जाने वाले किसी प्रयास को धन आशोधन निवारक अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उल्‍लेखित किसी अनुसूचित अपराध के समान ही, अपराध माना गया है।

(ड.) 30/9/2015 तक कुल 635 घोषणाकर्ताओं ने 4160 करोड़ रूपए के मूल्‍य की विदेशी परिसम्‍पत्‍ति की घोषणा फाइल कर दी है।

.........